संख्या- 70/2026/712/छप्पन-2026-100/2013

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 25 अगस्त, 2026

विषयः बरेली आर0सी0एस0 एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 88/आर0सी0एस0-2026/एस-3/2025 दिनांक 08 जुलाई, 2026 एवं पत्र संख्या-202/आर0सी0एस0-2025/एस-3/2021 दिनांक 29.09.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि एम0ओ0यू0 की व्यवस्था के आलोक में, बरेली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एवं अग्निशमन की व्यवस्था के निमित्त सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराए के मद में हुए व्यय के डिमाण्ड नोट भुगतान हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किए जाते हैं, जिसमें से सितम्बर, 2023 तक के बिलों का भुगतान किया जा चुका है।

एयरपोर्ट निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली हवाई अड्डा, बरेली द्वारा बरेली एयरपोर्ट से संचालित आर0सी0एस0 वायुसेवा हेतु क्रय व उपयोग किये गये सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये के भुगतान हेतु माह अक्टूबर, 2023 से जून, 2025 तक डिमाण्ड नोट प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत हैः-

डिमाण्ड नोट का संदर्भ	अवधि	धनराशि (रूपए)
AAI/NR/RCS/2023-24 दिनांक 23.01.2024	01 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक	4,13,527.62/-
AAI/NR/RCS/2023-24 दिनांक 23.01.2024	01 नवम्बर, 2023 से 30 नवम्बर, 2023 तक	4,13,527.62/-
AAI/NR/RCS/2023-24 दिनांक 23.01.2024	01 दिसम्बर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक	4,13,527.62/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2023-24/JAN/ दिनांक 24.04.2024	01 जनवरी, 2024 से 31 जनवरी, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2023-24/FEB/ दिनांक 24.04.2024	01 फरवरी, 2024 से 29 फरवरी, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2023-24/MAR/ दिनांक 24.04.2024	01 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/Jun/ दिनांक 18.06.2024	01 अप्रैल, 2024 से 30 अप्रैल, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/Jun/ दिनांक 18.06.2024	01 मई, 2024 से 31 मई, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/June/ दिनांक 17.12.2024	01 जून, 2024 से 30 जून, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/July दिनांक 17.12.2024	01 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक	4,13,527.59/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/Aug दिनांक 17.12.2024	01 अगस्त, 2024 से 31 अगस्त, 2024 तक	4,43,366.94/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/Sep दिनांक 17.12.2024	01 सितम्बर, 2024 से 30 सितम्बर, 2024 तक	4,66,185.27/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/Oct दिनांक 17.12.2024	01 अक्टूबर, 2024 से 31 अक्टूबर, 2024 तक	4,66,185.27/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/Nov दिनांक 17.12.2024	01 नवम्बर, 2024 से 30 नवम्बर, 2024 तक	4,66,185.27/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/ दिनांक 01.01.2025	01 दिसम्बर, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक	4,66,185.27/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/ दिनांक 12.03.2025	01 जनवरी, 2025 से 31 जनवरी, 2025 तक	4,67,919.13/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/ दिनांक 12.03.2025	01 फरवरी, 2025 से 28 फरवरी, 2025 तक	4,67,919.13/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/ दिनांक 03.05.2025	01 मार्च, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक	4,67,919.13/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2024/ दिनांक 03.05.2025	01 अप्रैल, 2025 से 30 अप्रैल, 2025 तक	4,67,919.13/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2025/ दिनांक 28.07.2025	01 मई, 2025 से 31 मई, 2025 तक	4,67,919.13/-
AAI/NR/RCS/BAREILLY/2025/ दिनांक 28.07.2025	01 जून, 2025 से 30 जून, 2025 तक	4,67,919.13/-
	योग	**92,50,898.79/- or say 92,50,899/-**

उक्त के दृष्टिगत बरेली आर0सी0एस0 हवाई अड्डे पर सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों के किराये का भुगतान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किये जाने हेतु रू0 92,50,899/-(रूपये बानवे लाख पचास हजार आठ सौ निनानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने तथा वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से बजट भी आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित बरेली एयरपोर्ट पर माह अक्टूबर, 2023 से जून, 2025 तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं हेतु धनराशि रू0 92,50,899/- (रूपये बानवे लाख पचास हजार आठ सौ निनानवे मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ रू0 92,50,899/- अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
2. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।
3. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
4. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6. निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त बिलों की शुद्धता एवं धनराशि की गणना के सम्बन्ध में स्वस्तर से संतुष्ट हो लेंगे।

7. निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 92,50,899/- (रूपये बानवे लाख पचास हजार आठ सौ निनानवे मात्र) तत्काल आवंटित कर सम्बन्धित को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुदान संख्या-38 राजस्व लेखा "लेखाशीर्षक 3053-नागर विमानन-01-हवाई सेवाएं-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम-42 अन्य व्यय" के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव।

संख्या- 70/2026/712(1)/ छप्पन-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
3. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग, नई दिल्ली।
5. जिलाधिकारी, बरेली।
6. विमानपत्तन निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बरेली हवाई अड्डा, बरेली।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/राजस्व अनुभाग-13
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in